तारीख		
07/05/21	पुकार/पक्षकारान के अधिवक्ता। कोरोना / लॉकडाउन पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 09.06.21 को पेश करें।	
9.6.21	पुकार/पक्षकारान के अधिवक्ता कोरोना पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गए हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 6.7.21 को पेश करें।	
06/8/24	वकालतनामा उभय P/D रिपोर्ट जमानत है। इन्तजार होकर शामिल किया, 05/8/24 को पेश हो। [signature]	
05/8/24	वकालतनामा उभय P/D रिपोर्ट जमानत है। इन्तजार होकर शामिल किया। 13/8/24 को पेश हो। [signature]	
13/8/24.	वकालतनामा उभय प्रकरण में सामाजिक डिक्री प्रमाण प्राप्त हुये जिन्हें पढ़कर सुनाया गया। वकालतनामा P/D प्रमाण नहीं होना स्वीकार किया तथा मासिक P/D प्रमाण बाद के [illegible] डिक्री [illegible] का निवेदन किया। वकालतनामा को सुना गया। [signature]	

कस्म..बनाम..

संख्या..वर्ष.............

	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
	P/D प्रस्ताव अनुसार वाद के अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद के मुताबिक P/D अन्तिम डिक्री किया जाता है। विक्रय नियम कागज के लिखा जाकर [illegible] किया गया। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

Scanned with CamScanner

तहसीलदार ×××× (भू०अ०) जायल

क्रमांक/भू०अ०/प्राथमिक डिक्री/2021/3293 दिनांक 17-8-2021

Court
for
17/8/2021

प्रेषिति :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो०
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री की पालना/बंटवारा प्रस्ताव भेजने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके पत्रांक/दिनांक 230/12-03-2021 की पालना में राजस्व प्रकरण संख्या 21/2020 अनुवान सादुल खां बनाम रसाल खानो वगैरह में जारी प्राथमिक डिक्री आदेश का बंटवारा प्रस्ताव तैयार होकर इस कार्यालय में जमा हो गया।

अतः इस पत्र के संलग्न आपके न्यायालय प्रकरण संख्या 21/2020 का बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में श्रीमान जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही बाबत् सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भूअभि०)
जायल

संलग्न :- राजस्व प्रकरण संख्या 21/2020 का बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में।

Scanned with CamScanner

मौका फर्द प्राथमिक डिक्री

आज दिनांक 7.8.2021 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जायल के प्रकरण वाद सं० 21/2018 तथा आदेश क्रमांक रीडर/कोर्ट/2021/230 दिनांक 12.3.2021 तथा श्रीमान तहसीलदार साहब जायल के आदेश क्रमांक भू.प्र./प्राथमिक डिक्री/2021/1273 दि० 22.7.21 की पालना में शामिल खातेदारान के आराजी खसरा सं० 22 रकबा 2.5657 बा०2, खसरा सं. 250 रकबा 2.5252 बा.2 खसरा सं. 305 रकबा 0.9470 हेक्ट बा. 2, खसरा सं. 307 रकबा 0.7770 हेक्ट. बा.2, खसरा सं. 46 रकबा 0.7122 हेक्ट. बा. 2 किता 5 कुल रकबा 7.5271 हेक्ट. भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव (प्राथमिक डिक्री) निम्न अनुसार तैयार की गई—

① सादुल खाँ पुत्र समदर खाँ जाति कायमखानी सा. देह खातेदार

खसरा सं. 46 रकबा ~~[illegible]~~ 0.7122 हेक्ट. किस्म बा. 2 हिस्सा सम्पूर्ण

खसरा सं. 305 रकबा 0.9470 हेक्ट. किस्म बा. 2 हिस्सा सम्पूर्ण

खसरा सं 307 रकबा 0.7770 हेक्ट. किस्म बा. 2 हिस्सा सम्पूर्ण

किता 3 कुल रकबा 2.4362 लगान 10.53 किस्म बा. 2

② मनवर खाँ पुत्र समदर खाँ जाति कायमखानी सा. देह खातेदार

खसरा सं. 250 रकबा 2.5252 हेक्ट. किस्म बा. 2 हिस्सा सम्पूर्ण लगान 10.91

③ साजिद खाँ 1/2 बिलाल खाँ 1/2 पि० इब्राहीम खाँ जाति कायमखानी सा. देह खातेदार.

खसरा सं० 22 रकबा 2.5657 हेक्ट. बा०2 हिस्सा सम्पूर्ण लगान 11.08रु.

शेष खातेदारान रसालबानो, प्रेमबानो, गोरुबानो पुत्रियाँ समदर खाँ खातूनबानो पत्नी समदर खाँ, किस्मतबानो पुत्री इब्राहीम खाँ सुल्तानबानो पत्नी इब्राहीम खाँ ने दिनांक 16.10.2018 को उपपंजीयक जायल में रजिस्टर्ड हकतर्क नामा के द्वारा अपना हिस्सा त्याग कर दिया है। अतः इनके नाम खाते से हटाया जावे। प्राथमिक डिक्री जांच रिपोर्ट मौके पर बनाई जाकर एवं पढ़कर सुनाई गई तथा हस्ताक्षर करवाये गये।

[illegible]
7/8/21
पटवारी

मनवर खाँ

साजिद खाँ

अलाउद्दीन (?)

शकिल खान

[illegible]
7/08/2021
पटवारी

नि. खातूनबानो

नि. सुल्तानबानो

[illegible]
07-8-21
नायब तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 21/2018
सादुल खां बनाम् रसाल बानो वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :21/2020

वादीगण-

1. सादुल खां
2. मनवर खां
3. वाजिद खां पुत्रगण समन्द्र खां
4. बिलाल खां पुत्र इब्राहिम खां
5. सुप्यार बानो पत्नि इब्राहिम खां
   जातियान- कायमखानी,निवासीगण-छावटाकलां ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रसाल बानो
2. प्रेम बानो
3. गोरू बानो पुत्रियां समन्द्र खां
4. खातुन बानो बैवा समन्द्र खां
5. किस्मत बानो पुत्री इब्राहिम जातियान कायमखानी निवासी छावटा कलां तहसील-जायल जिला-नागौर।
6. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :-

1. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिव कुमार पारासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्करारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 17/8/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा छावटा कलां तहसील जायल में खेत खसरा नं. 22 रकबा 15.17 बीघा, खसरा नंबर 46 रकबा 04.08 बीघा, खसरा नंबर 250 रकबा 15.12 बीघा , खसरा नंबर 305 रकबा 05.17 बीघा , खसरा नंबर 307 रकबा 04.16 बीघा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2065 की आखातीज को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क व घ) के अनुसार कर सिंव-नींव अलग-अलग कर लिया है। वादपत्र के पैरा संख्या 2 के अनुसार वादी संख्या 1 सादुल खां के हक बंट में मौजा छावटाकलां का खेत खसरा नंबर 46 रकबा 04.08 बीघा , खसरा नंबर 305 रकबा 5.17 बीघा , खसरा नंबर 307 रकबा 04.16 बीघा रखा गया है। वादी संख्या 2 मनवर खां के हक बंट में खसरा नंबर 250 रकबा 15.12 बीघा रखा गया है। वादी संख्या 3 व 4

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वाजिद खां एवं बिलाल खां के सामलाती हक बंट में खसरा नंबर 22 रकबा 15.17 बीघा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं वादी संख्या 5 के मुतदाविया भूमि में से को हक बंट नही रखा क्यों कि इन्होनें अपने हिस्से का परित्याग अपने भाईयों के पक्ष में कर दिया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने उपस्थित न्यायालय होकर ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री जीयाराम गोदारा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पहचान अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर ने की। ईकबाली जबाब बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 6 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह सादुल खां, रसाल बानो पुत्री समन्द्र खां, मनवर खां पुत्र समन्द्र खां पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम छावटा कलां तहसील-जायल सम्वत् 2071-2074 खाता संख्या 226 प्रदर्श-1 पेश किये। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व वादी संख्या 5 की ओर से अपने भाईयों के पक्ष में भूमि परित्याग का साक्ष्य दस्तावेज दिनांक 16.10.2018 हकर्तकनाम पेश किया जो पत्रावली शामिल मिसल है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जवाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 एवं वादी संख्या 5 ने वादीगण 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जवाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेतात का प्रस्तुत ईकबाली जबाव दिनांक 28.07.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाव पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 28.07.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारी राय में मौजा छावटा कलां के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 क्रमश रसाल बानो, प्रेम बानो, गोरू बानो,खातून बानो,किस्मत बानो एवं वादी संख्या 5 सुप्यार बानो द्वारा अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 क्रमश सादुखां, मनवर खां, वाजिद खां बिलाल खां के पक्ष में जरिये पंजीकृत दस्तावेज के हकतर्क कर दिया है। तथा वादी संख्या 1 से 4 द्वारा खेत खसरा नं. 22 रकबा 15.17 बीघा, खसरा नंबर 46 रकबा 04.08 बीघा, खसरा नंबर 250 रकबा 15.12 बीघा , खसरा नंबर 305 रकबा 05.17 बीघा , खसरा नंबर 307 रकबा 04.16 बीघा की भूमि को यथावत रखते हुवे माफिक ईकबाली जबाब अनुसार घोषणा खातेदारी चाही है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 22,46,250,305 व 307 की भूमि का पक्षकारान् के मध्य हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 12.03.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 12.03.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3293 दिनांक 17.08.2021 को प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादीगण मनवर खां, वाजिद खां, सुप्यार बानो, खातुन बानो ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि शकील खां एवं अलीशेर खां तथा पटवार हल्का की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

से होती है। इसलिये मौजा छावटा कल्ला तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 22,46,250,305,307 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयोजित खातेदार है। वादी संख्या 5 सुप्यार बानो व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा दिनांक 28.08.2018 को बहक सादुलखां, मनवरखां पिता समन्द खां, बिलाल खां,वाजिद खां पिता इब्राहिम खां के पक्ष में हक त्याग कर दिया है जिसके कारण वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नाम खोतदारी से हटाया जाना न्यायसंगत है। तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा छावटा कलां तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 22,46,250,305,307 में वादी संख्या 1 से 4 सहखातेदार के रूप में घोषित है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3293 दिनांक 17.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 सादुल खां के हक बंट में मौजा छावटाकलां का खेत खसरा नंबर 46 रकबा 0.7122 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 305 रकबा 0.9470 हैक्टेयर सम्पूर्ण , खसरा नंबर 307 रकबा 0.7770 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 मनवर खां के हक बंट में खसरा नंबर 250 रकबा 2.5252 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 व 4 वाजिद खां एवं बिलाल खां के सामलाती हक बंट में खसरा नंबर 22 रकबा 2.5657 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गयी है क्यों कि उन्होने अपना हक त्याग जरिये रजिस्ट्रड हकतर्कनामा द्वारा कर दिया है।

निर्णय आज दिनांक 17/8/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

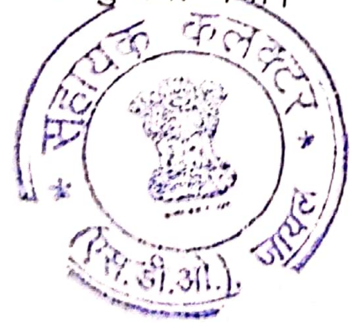

17/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 21/2018

वादीगण–

1. सादुल खां
2. मनवर खां
3. वाजिद खां पुत्रगण समन्द खां
4. बिलाल खां पुत्र इब्राहिम खां
5. सुप्यार बानो पत्नि इब्राहिम खां
   जातियान–कायमखानी,निवासीगण–छावटाकलां, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रसाल बानो
2. प्रेम बानो
3. गोरू बानो पुत्रियां समन्द्र खां
4. खातुन बानो बैवा समन्द्र खां
5. किस्मत बानो पुत्री इब्राहिम जातियान कायमखानी निवासी छावटा कलां तहसील–जायल जिला–नागौर।
6. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिव कुमार पारासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जियाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हाजरी श्री शिवकुमार पारासर व प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा छावटा कलां तहसील जायल के वेवादग्रस्त खसरा नं. 22,46,250,305,307 में वादी संख्या 1 से 4 सहखातेदार के रूप में घोषित है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3293 दिनांक 17.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 सादुल खां के हक बंट में मौजा छावटाकलां का खेत खसरा नंबर 46 रकवा 0.7122 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 305 रकबा 0.9470 हैक्टेयर सम्पूर्ण ,

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

खसरा नंबर 307 रकबा 0.7770 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

2. वादी संख्या 2 मनवर खां के हक बंट में खसरा नंबर 250 रकबा 2.5252 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 व 4 वाजिद खां एवं बिलाल खां के सामलाती हक बंट में खसरा नंबर 22 रकबा 2.5657 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गयी है क्यों कि उन्होने अपना हक त्याग जरिये रजिस्ट्रड हकतर्कनामा द्वारा कर दिया है।

17/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......17/8/2021......... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

17/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner